234 17 कतिपय भत्तों को प्रोत्साहनों और भत्तों की 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बाहर रखना।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के दिनांक 29.6.2012 के कार्यालय ज्ञापन सं. 2(20)/2012–डीपीई(डब्ल्यूसी) का हवाला देने का निदेश हुआ है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है और स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया है कि लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26.11.2008 के कार्यालय ज्ञापन में उल्लेखित भत्तों/लाभों/प्रोत्साहनों से इतर कोई अन्य भत्ता/लाभ/अनुलाभ 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा से बाहर अनुमेय नहीं है। इसका मतलब है कि महज 4 भत्ते नामतः (i) पूवोत्तर भत्ता; (ii) भूमिगत खाद्यानों के लिए भत्ता; (iii) कठिन और दूर–दराज के क्षेत्रों में सेवारत कर्मचारियों के लिए विशेष भत्ता; (iv) नॉन–प्रैक्टिसिंग भत्ता, 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के दायरे से बाहर है।

2. उपर्युक्त स्पष्टीकरण के बावजूद ऐसा जानकारी में आया है कि कुछ केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है और कार्यकारी अधिकारियों द्वारा ये भत्ते किसी न किसी रूप में 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अलावा लिए जा रहे हैं। इसे लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का गंभीर उल्लंघन माना जाएगा और यह लेखापरीक्षा व अन्य निगरानी एजेंसियों की संवीक्षा में खरी नहीं उतरेगी। अतः केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों से अनुरोध है कि वे लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों का शब्दशः पूर्ण भाव से पालन करें।

3. प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग अपने नियंत्रणाधीन केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को, लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों की सूचना एवं सख्त अनुपालन करने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करे।

(डीपीई का.ज्ञा.सं. 2(17)/2010–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XV/13, दिनांक 11 जून, 2013)

*****